

8/12/22

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इत्नाबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिका अनुसार आईन्दा दिनांक 3/1/23 को पेश हो।

09/12/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील की ओर से सिर्फ होल्डर फाराराम गोदारा अपील प्रार्थी वकील ने निवेदन किया कि उपरोक्त आवान का पुराना न्यायालय में विचारार्थी जो न्यायालय द्वारा दिनांक 14/09/2022 को वकील प्रार्थीगण व प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में उप. नहीं होने के कारण आवेदन पत्र को आवान पेश की व अदम हाजरी में रजिस्ट्रार को दिया गया। प्रार्थीगण को उसके वकील ने पेशी पर आने का मना कर दिया था तथा कहा कि जब भी आपकी आवश्यकता होगी तब आपको सूचित कर दिया जायेगा जिसके बाद हम आपने मुद्दमें पेशी को लेकर निश्चित हो गये थे। आज से 3-4 दिन पहले जब प्रार्थीगण ने अपने वकील से सम्पर्क कर उन्हें पत्रावली की जानकारी चाही तो वकील ने न्यायालय पत्रावली की जान की तो उन्हें काल हुआ कि उन्हें पत्रावली दिनांक 14/09/22 को अदम हाजरी व अदम पेशी में रजिस्ट्रार को दी गई। जानकारी की विनांक से उन्हें प्रार्थीगण पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अदम न्याय स्वीकार फरमाया जाकर आवेदन पत्र पुनः व्यवस्था किए जाने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थीगण वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को न्यायालय में स्वीकार किया जाता है। पत्रावली को पुनः बरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फाराराम गोदारा लेखक सारिकल दफ्तर है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 99/2019 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

सरदारखां वगैरा बनाम हमीराराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील - श्री हुकमसिंह गोदारा

निर्णय

दिनांक - 3/2/23

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र रबासर भू.अ.नि. क्षेत्र बुरहान का तला के मौजा अधरीम का तला के खेत खसरा संख्या 100 रकबा 32.17 बीघा किस्म बारानी दायम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड़डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र रबासर भू.अ.नि. क्षेत्र बुरहान का तला के मौजा अधरीम का तला के खेत खसरा संख्या 100 रकबा 32.17 बीघा किस्म बारानी दायम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार धनाऊ को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरे की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 3.2.23 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।



(राजस्व उपखण्ड अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी 1. सरदाराखां पुत्र दरू 2. रसीदा पत्नि दरू 3. दरियाखां पुत्र अदरीम जातियान-मुसलमान, निवासी-अदरीम का तला, तहसील धनाऊ।	बनाम	विप्रार्थीगण 1. हमीराराम पुत्र वभूताराम जाति मेघवाल 2. शंकराराम पुत्र पाताराम जाति मेघवाल 3. अमरा पुत्र रसीदा 4. सवाई पुत्र चाड़ा जातियान-मुसलमान, निवासी-अधरीम का तला, तला सेड़वा, जिला बाड़मेर।
--	-------------	---

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।
 राजस्व आवेदन संख्या 99/2019


दिनांक : 3/2/23

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र रबासर भू.अ.नि. क्षेत्र बुरहान का तला के मौजा अधरीम का तला के खेत खसरा संख्या 100 रकबा 32.17 बीघा किस्म बारानी दोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करें। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही

के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से मदद हेतु अधिकृत किया जाता है।




 (सहायक उपखण्ड अधिकारी)
 उपखण्ड अधिकारी
 (SDO) सेड़वा

दिनांक 17/5/23

क्रमांक/भू.अ./2023/ 814-817

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार धनाऊ ।
2. प्रार्थी सरदाराखां पुत्र दरू वगैरा ।
3. विप्रार्थीगण हमीराराम पुत्र वभूताराम वगैरा ।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाऊ ।


 उपखण्ड अधिकारी
 (SDO) सेड़वा